



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 30.05.2022

गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी ओमवीर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 8.5 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त ओमवीर पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम लोयन-मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 783/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.05.2022 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय सं0-1 विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त ओमवीर को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 8.5 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- ओमवीर पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम लोयन-मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-185/2009 धारा 364/302/201 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0-308/2009 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0- 783/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 30.05.22

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 56/22 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0 79/22 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 2000/ रूपये व कान के कुण्डल व बाली बेचकर प्राप्त रूपये में से 1000/ रूपये नगद एवं 02 कानों के कुण्डल (पीली धातु के) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 29.04.22 को थाना बालैनी पर वादी श्री गौरव कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 28.04.22 की रात्रि को वादी के घर से किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादी की



मां के कान के कुण्डल व उसी रात्रि को गांव की अन्य दो महिलाओं के कान के कुण्डल व बाली चोरी कर लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 56/22 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 29.05.22 को थाना बालैनी पर वादी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लीलचन्द निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 27/28.05.22 की रात्रि को वादी की परचून की दुकान से अभियुक्त जोनी उर्फ हरेन्द्र ने 7135/ रूपये नगद, एक

स्पीकर कॉलम व अन्य खाने-पीने का सामान चोरी कर लिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 79/22 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 56/22 धारा 457/380/411 भादवि व मु0अ0सं0 79/22 धारा 457/380/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 2000/ रुपये व कान के कुण्डल व बाली बेचकर प्राप्त रुपये में से 1000/ रुपये नगद एवं 02 कानों के कुण्डल (पीली धातु के) बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-जोनी उर्फ हरेन्द्र पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-बबली उर्फ कृष्णवीर पुत्र महावीर निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए 2000/ रुपये नगद । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 79/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।)
- कान के कुण्डल व बाली बेचकर प्राप्त रुपये में से 1000/ रुपये नगद । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 56/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।)
- 02 कानों के कुण्डल (पीली धातु के) ।(सम्बन्धित मु0अ0सं0 56/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी ।

2-का0 1024 उपेन्द्र यादव थाना बालैनी ।

3-का0 743 मोहित तेवतिया थाना बालैनी ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनाँक 30-05-2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 455/22 धारा 366 भादवि से संबंधित अपहृता सकुशल बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 455/22 धारा 366 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा साईबर/सर्विलांस सैल बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार थाना बडौत ।
- 3- है0का0 165 कुलदीप भाटी थाना बडौत ।
- 4-है0का0 गवेन्द्र सिंह सर्विलांस सैल बागपत ।
- 5-का0 दीपक तेवतिया सर्विलांस सैल बागपत ।

6-का0 अरूण सर्विलांस सैल बागपत ।

7-का0 रक्षित सर्विलांस सैल बागपत ।

8- म0का0 456 अन्जू मावी थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 30.05.2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने गुमशुदा 11 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने गुमशुदा 11 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अमित चौहान ।

2-है0का0 28 भूपेन्द्र ।

3-है0का0 209 मनोज कुमार ।

4-का0 24 तरुण कुमार ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 30.05.2022

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 860/21 धारा
323/504/506/308 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 05/09/21 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अकरम पुत्र गफूर निवासी ईदगाह कालोनी कस्बा बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1. मोटू उर्फ गफफार व 2. मिथुन पुत्र गफफार निवासी ईदगाह कालोनी कस्बा बागपत ने वादी के साथ गाली-गलौज कर



जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर गम्भीर रूप घायल कर दिया जिससे वादी मौके पर बेहोश हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 860/21 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजिकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

860/21 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मोटू उर्फ फुरकान पुत्र गफफार निवासी मौ0 ईदगाह कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-मिथुन उर्फ गुलफाम पुत्र गफफार निवासी मौ0 ईदगाह कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि0 श्री रामकुमार कोतवाली बागपत।
- 2-का0 88 विनीत कोतवाली बागपत।

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 107/2022 धारा 363/366 भादवि से संबंधित 02 अपहृताओं को सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 107/2022 धारा 363/366 भादवि से संबंधित 02 अपहृताओं को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा साईबर/सर्विलांस सैल बागपत।
- 2- उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार सैनी थाना चांदीनगर।
- 3-उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना चांदीनगर।
- 4-है0का0 गवेन्द्र सिंह सर्विलांस सैल बागपत।

5-का0 दीपक तेवतिया सर्विलांस सैल बागपत ।

6-का0 अरुण सर्विलांस सैल बागपत ।

7-का0 रक्षित सर्विलांस सैल बागपत ।

8-का0 280 मनोज नागर थाना चांदीनगर ।

9-म0का0 165 सीमा थाना चांदीनगर ।

**थाना दोघट बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 129/2022 धारा 307/324/506
भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.05.2022 को थाना दोघट बागपत पर वादी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र ओमपाल सिंह निवासी नयां गांव थाना झिझाना जनपद शामली मैशर्स कुमार ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी प्रोपराईटर ने सूचना दी कि कस्बा दोघट में रजवाहा पुलिया के पास अभियुक्त



जितेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी पट्टी तिरोसिया थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा उसके अधीनस्थ कर्मचारी कृष्ण पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम नयागांव थाना झिझाना जनपद शामली के साथ बिजली की लाईन के पोल लगाते समय जान से मारने की धमकी देते हुये जान से मारने की नीयत से पलकटी से वार कर कृष्ण उपरोक्त को गम्भीर रूप से घायल कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट बागपत पर मु0अ0सं0 129/2022 धारा 307/324/506 भादवि में पंजिकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 129/2022 धारा 307/324/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-जितेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी पट्टी तिरोसिया करबा व थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री मनीष कुमार

2-है0का0- 332 सचिन कुमार



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 30-05-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

1.फईमुददीन पुत्र शाबुददीन निवासी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2.चिरागूददीन उर्फ अल्लू पुत्र हमीद निवासी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना सि०अहीर

2-है०का० 378 बलराज सिंह

3-का० 44 संजीव कुमार



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 30.05.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 173/22 धारा 323/504/506/308/336 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.05.22 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी वसीम पुत्र रज्जाक निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त बच्चल, तहसीन उर्फ सोनू, अय्यूब व महबूब ने वादी व उसके परिजन फुरकान, सहजाद आदि के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते



हुए लाठी डंडो से मारपीट कर सिर में गम्भीर चोट पहुंचाना जिससे सहजाद व फुरकान मौके पर बेहोस हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 173/22 धारा 323/504/506/308/336 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 173/22 धारा 323/504/506/308/336 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-बच्चल पुत्र शाहिब खां निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-तहसीन उर्फ सोनू पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना सिंघावली अहीर
2. का0 13 मुकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर